



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 925]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 925]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

सं. 25/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1038(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के खण्ड (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 2 मई, 2012 के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 मई, 2012 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (3) में क्रम सं. 2 में मौजूदा मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) धारा 46 की उपधारा (3) और (5) का द्वितीय परंतुक”

[फा. सं. 450/32/2016-सीमाशुल्क (IV)]

शैफाली जी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क गै.टै., दिनांक 2 मई, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 993 (अ), के अंतर्गत दिनांक 2 मई, 2012 को प्रकाशित की गई थी और इसमें, दिनांक 17 फरवरी, 2012 की का.आ. सं. 419 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित दिनांक 17.02.2014 की अधिसूचना सं. 12/2014-सीमा शुल्क (गै.टै.) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

[CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS]

NOTIFICATIONNew Delhi, the 31st March, 2017**No. 25/2017-Customs (N.T.)**

S.O. 1038(E).—In exercise of the powers conferred by clause (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 993 (E), dated the 2nd May, 2012, namely:-

In the said notification, in the Table, in column (3) against serial number 2, for the existing item (i), the following item shall be substituted, namely:- “(i) Second proviso to sub-sections (3), and (5) of section 46; and”.

[F.No.450/32/2016-Cus IV]

SHAIFALI G. SINGH, Under Secy.

Note : The principal notification number 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 993(E), dated the 2nd May, 2012 and was last amended vide notification No. 12/2014-Customs (N.T.) dated 17.2.2014 published vide number S.O 419 (E), dated the 17th February, 2014.